

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-11 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/04/2019-अ.भा.से.-1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 16 अगस्त, 2019

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री जे. सी. रामठंगा, आई.ए.एस. (मणिपुर:89) की विशेष मामले के तौर पर मणिपुर संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग (मिज़ोरम खंड) में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31.05.2022 (इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख) तक अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
नई दिल्ली-110002